

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- बन्शीधर योगी, (आर०ए०एस०)

मुकदमा संख्या :- 11/2024 फा०फा

01. ~~अन्वय~~ १० गोपीनाथ धारिजा सेठ कल्याण - इला करेडा - करेडा
प्रार्थी.....

बनाम

01. गोपाल क उत्तम देवा सेठ कल्याण - इला करेडा - करेडा

विपक्षीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 12/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत आवेदन किया कि ग्राम ~~कल्याण~~ पटवार हल्का ~~कल्याण~~ तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खाते की खाता संख्या 438 आराजी नम्बर 2078/1149, 2115/1149,

कुलकिता 2 रकबा 0.4425 हैक्टयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5/11/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~कल्याण~~ पटवार हल्का ~~कल्याण~~ तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 438 आराजी नम्बर 2078/1149, 2115/1149,

कुलकिता 2 रकबा 0.4425 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जसदी को 450/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

अग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी


उपखण्ड अधिकारी
करेडा, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।


उपखण्ड अधिकारी
सहायकरेडा, जिला-भीलवाड़ा

